

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)05 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 300000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 1500000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को ₹ 1000000/- (एक लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 2500000/- (दो लाख पचास हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र. सं. | मृतक/दावेदार का नाम, पित्त/पति का नाम, कोटि         | आश्रित का नाम संबंध        | जिलाधिकारी / श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक | पता  | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ. ए. सी        | स्वीकृत अनुदान की राशि       | मृत्यु/ निःशक्तता का श्रम, कार्य की प्रकृति            |
|----------|---|----------------------------|---|--|----------------------------|--|------------------------------|--|
| 1        | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                          | 7  | 8                            | 9  |
| 1        | स्व० विष्णुदेव तांती, श्री बच्चेलाल तांती, पि० जाति | श्रीमती रजनी देवी (पत्नी)  | 739/27.<br>10.2018                          | ग्रा०-बरियाही बस्ती पूर्वी, पं०-बनगाँव वार्ड नं० 05, पो०-बरियाही, था०-बनगाँव, प्र०-कहरा, सहरसा | 35945725<br>219            | भारतीय स्टेट बैंक, सत्तर, SBIN0004930      | ₹ 1000000/-<br>(एक लाख रूपए) | दुर्घटना मृत्यु, ईट निर्माण कार्य में मजदूर (कामगार)   |
| 2        | स्व० जगन तांती, श्री रविदास तांती, पि० जाति         | श्रीमती गुलाब देवी (पत्नी) | 740/27.<br>10.2018                          | ग्रा०-कटैया, पं०-बिजलपुर वार्ड नं० 13, था०-बिहरा, प्र०-सत्तरकटैया, सहरसा                       | 34467618<br>071            | भारतीय स्टेट बैंक, सत्तर, SBIN0004930      | ₹ 30000/-<br>(तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, ईट निर्माण कार्य में मजदूर (कामगार)  |
| 3        | स्व० जगदीश शर्मा, स्व० मोती दास, अ० पि० जाति        | श्रीमती अरहुल देवी (पत्नी) | 741/27.<br>10.2018                          | ग्रा०-आरण, पं०-विशानपुर, पो०-आरण, था०-बिहरा, प्र०-सत्तरकटैया, सहरसा                            | 45811051<br>0002864        | बैंक ऑफ इंडिया, आरण, BKID0004581           | ₹ 30000/-<br>(तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, पशु चराने का काम (शिल्पकार)          |
| 4        | स्व० मनोज मुखिया, श्री सुखदेव मुखिया, पि० जाति      | श्रीमती आशा देवी (पत्नी)   | 742/27.<br>10.2018                          | ग्रा०+पो०-खजुराहा, था०+प्र०-सोनवर्षा, सहरसा  | 32886852<br>369            | भारतीय स्टेट बैंक, सोनवर्षा, SBIN0003008   | ₹ 30000/-<br>(तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण कार्य में मजदूर (कामगार) |
| 5        | स्व० मो० करामत उद्दीन, स्व० तीनकोरी, सामान्य        | श्री अखतर हुसैन (पुत्र)    | 743/27.<br>10.2018                          | ग्रा०-सहरसा बस्ती, वार्ड नं० 31, प्र०-कहरा, पो०+था०+जि०-सहरसा                                  | 34343229<br>530            | भारतीय स्टेट बैंक, सहरसा सिटी, SBIN0011810 | ₹ 30000/-<br>(तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण कार्य में मजदूर (कामगार) |
| 6        | स्व० मुसहरनिया देवी, पि० जाति                       | श्री पांचू मुखिया (पति)    | 760/2.<br>11.2018                           | ग्रा०-गोन्दराम, पं०-रघुनाथपुर, पो०-सहसौल, था०-बसनही, प्र०-सोनवर्षा, सहरसा                      | 58331011<br>0001999        | बैंक ऑफ इंडिया, महुआ बाजार, BKID0005833    | ₹ 30000/-<br>(तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण कार्य में मजदूर (कामगार) |

कुल :- ₹ 2500000/-

(दो लाख पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-26/2018 के पृष्ठ-33/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-26/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित

करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)  
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-26/2018 - 57

पटना, दिनांक :- 08.02.2019

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 250000/- (दो लाख पचास हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

2/08/2019  
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)  
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

Gurdeep Singh  
08/02/19  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

08/02/19  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।